कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2974 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,जून 03 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा–पासा नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि0.69 हे0वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव ।**

सन्दर्भः– FP / UK/ IRRIG/7292/2014

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ने अपने पत्रांक 2895 / 12–1 दिनांक 02–6–2016 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा–पासा नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि 0.69 हे0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,पुरोला को वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है।

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं,की संख्या
1	2	3	4	5	6
टौन्स वन प्रभाग,पुरोला सिंगतूर रेंज	आरक्षित वन भूमि पासा ब्लाक 8 व 9	5750 X 1.2	0.69	शून्य	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग वन भूमि	**5750**	**0.69**	**शून्य**	**रिक्त**
टौन्स वन प्रभाग,पुरोला /सिंगतूर रेंज	**नाप भूमि–** ग्राम कुनारा	1250 X 1.20	0.50	शून्य	0
	कुल योग वन भूमि	7000 मीटर	0.69	–	**रिक्त**

प्रस्तावित नहर निर्माण में कोई वृक्ष बाधित नहीं हैं तथा जिलाधिकारी,उत्तरकाशी के द्वारा वांछित वन भूमि में गैरवानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग,पुरोल की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र– III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुनावृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 2974/(1) / 12-1(1) दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुनावृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा–पासा नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि0.69 हे0वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव । FP / UK/ IRRIG/7292/2014

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	प्रस्तावित नहर निर्माण में कोई वृक्ष बाधित सूचित नहीं है। अतः प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक – 03 जून, 2015
स्थान – देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम – (आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo_tons@yahoo.co.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक 2095 / 12-1 पुरोला, दिनांक, 02/06/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा–पासा नहर निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव क्षेत्रफल– 0.69 है0।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक सं0 2036/12–1 (1) दिनांक 23 फरवरी 2016 प्रस्ताव सं0** FP/UK/IRRIG/7292/2014 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के कम में अवगत कराना है प्रस्ताव में इन्गित आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार है।

बिन्दु सं0–1 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग 2 प्रपत्र वर्तमान तैनात प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 4.11.2015 का अपलोड किया गया हैं।

बिन्दु सं0 –2 भाग 2 के बिन्दु सं0 5 में वर्किग प्लान प्रिस्किप्सन फार द फारेस्ट लैण्ड प्रपोस्टडफार डाइवर्जन प्रस्तावित वन भूमि चीड़ वर्किंग संर्किल में आती है गैर वानिकी कार्यो हेतु कोई वृक्षारोपण इस क्षेत्र में नही है वन विकास निगम कोई हेतु लाट प्रस्तावित नही है नही कोई लीसा कूप प्रस्तावित है।

बिन्दु सं0–.7 में वान्छित वन भूमि से वन सीमा की दूरी के सम्बन्ध में अवगत करवाना है कि प्रस्तावित वन भूमि वन सीमा के अन्दर है इसलिए दूरी को आंकडों में नही भरा गया है।

बिन्दु सं0– 4 ड्रिस्टिक्ट प्रोफाइल में जिला स्तरीय आंकड़े भर दिये गये है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। जिले का जागरफीकल क्षेत्रफल – 844792.45 है0 है तथा फारेस्ट का क्षेत्रफल – 89379.711 है0 है। तथा प्रस्ताव की दो स्केन प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय में प्राप्त करवा दी गयी है, प्राप्ति का साक्ष्य संलग्न प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड पुरोला को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

O/C.

परियोजना का नाम –पासा नहर निर्माण कार्य

भाग II

सम्बधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य कम संख्याः–...

7		परियोजना स्कीम का स्थान	:–	कुनारा पासा नहर निर्माण कार्य,तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी
	i	राज्य संघ शासित क्षेत्र	:–	उत्तराखण्ड
	ii	जिला	:–	उत्तरकाशी
	iii	वन प्रभाग	:–	टौन्स वन प्रभाग,पुरोला
	iv	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र(है0में)	:–	0.690 है0
	v	वन की कानूनी स्थिति	:–	आरक्षित वन भूमि
	vi	हरियाली का घनत्व	:–	0.4 से अधिक है।
	vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षो की परिगणना संलग्न की जाय। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–4मी0भी संलग्न किया जाय	:–	परियोजना के निमाण से कोई वृक्ष प्रभावित नही होगा
	viii	भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:–	संवदनशील क्षेत्र नही है।
	ix	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल से वन की सीमा की अनुमानितं दूरी	:–	योजना वन भूमि के अन्दर कियान्वित होगी।
	x	क्या प्रस्तावित क्षेत्र फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण,जैवमण्डल रिर्जव हाथी कोरीडर आदि का भाग है(यदि हों तो क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीया अनुबन्धित की जाय)	:–	नही
	xi	क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	:–	नही

	(xii) क्या सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वूर्ण स्माकरण क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:–	नही
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं हो जॉचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:–	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9	क्या वन अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	:–	नही
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:–	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस–पास के वन से इनकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	:–	संलग्न है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास की सीमाओं को दर्शाता मैप	:–	संलग्न है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	:–	संलग्न है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।		संलग्न है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण		संलग्न है।

परियोजना का नाम –कुनारा –पासा नहर निर्माण कार्य

		से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तारित किया जाय।)	:–	
11		जिला वन संरक्षक की सिलि निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम(xi,xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	:–	संलग्न है।
12		विभाग /जिला प्रोफाइल	:–	
	i	जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल	:–	84479.245 है0(टौंस वन प्रभाग पुरोला)
	ii	जिला का वन क्षेत्रफल	:–	89379.711 है0
	iii	मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:–	66 मामले / 220.745 है0
	iv	1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:–	
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:–	
	ख	वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगती	:–	–
	क	वन भूमि पर।	:–	
	ख	वनेत्तर भूमि पर।	:–	–
13		प्रस्तावित को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:–	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनाक :- 4-11-2015
स्थानः– पुरोला

हस्ताक्षर [signature] 4/11/2015
प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

प्रेषक:

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पुरोला।

सेवा में,

नोडल अधिकारी वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी
देहरादून।

पत्रांक: 274/सिखपु/स्ल-1 (वनभूमि) दिनांक: फरवरी 27/2016

विषय:- कुनारा-पासा नहर का वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण।

महोदय,

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में कुनारा पासा सेपरल कम्पोनेंट प्लान की नहर के निर्माण हेतु 0.690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रकरण, उप वन संरक्षक टौंस वन प्रभाग पुरोला के हस्ताक्षर उपरान्त 2 प्रतियों में आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार
2 प्रतियां

(आर०के०गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: 275/सिखपु/स्ल-1 (वनभूमि) तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय सिंचाई उपखण्ड मोरी को उनके पत्रांक-शून्य दि० 26/02/2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०के०गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

27/2/16

सम्प्रेक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इन्दरा नगर, फौरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून